उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | इस योजना के तहत राज्य के केवल अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक ,सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को ही शामिल किया जायेगा

इस **यूपी विवाह अनुदान योजना 2021** के तहत आवेदन केवल शादी के 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है |

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना मुख्य तथ्य

योजना का नाम	उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना
आरम्भ की गयी	मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी के द्वारा
सहायता धनराशि	51,000 रूपये
लाभार्थी	उत्तर प्रदेश की कन्याये
ऑफिसियल वेबसाइट	http://shadianudan.upsdc.gov.in/

पात्रता

- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति ,अल्पसंख्यक ,पिछड़ा वर्ग ,आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य आदि वर्ग के लोग पात्र होंगे |

- **उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021** के तहत ग्रामीण क्षेत्रो के लाभार्थी के परिवार की आय 46080 रूपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रो के लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये होनी चाहिए |
- इस योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए |

यूपी विवाह अनुदान योजना 2021 दस्तावेज़

- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो